

सं.आं.आं/शिमला/तक-11/S-82/12 कक/2009-10/29

कार्यालय  
आयकर आयुक्त  
शिमला, हि.प्र.।

दिनांक : 16.4.2009

श्री

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12-कक(1)(ख) के अधीन आदेश :

M/s Sakar Society for differently Abled Persons, Village Salah, Near Dental College Sundernagar, Mandi ने विहित प्रपत्र में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12-कक(1)(ख) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए आवेदन दिया है।

2. उपरोक्त ट्रस्ट के आवेदन पर विचार करने के बाद ट्रस्ट को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12-कक(1)(ख) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए दिनांक 1.4.2008 से उपयुक्त पाया गया है, अतः उसी तिथि से धारा 12-कक(1)(ख) के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है।

3. संस्था को इस कार्यालय के पंजीकरण रजिस्टर के क्रमांक S-82 पर इन्द्रराज किया गया है। अतः ट्रस्ट को नि० वर्ष 2009-10 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत पंजीकरण के लाभ मिलेंगे।

इत्या -  
( अखिलेश रंजन )  
आयकर आयुक्त,  
शिमला, हि.प्र.।

प्रति प्रेषित है :

1. आवेदक संस्था को (पंजीकृत डाक से)।
2. आयकर अधिकारी, सुन्दरनगर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. आयकर अपर आयुक्त, मण्डी रेंज, मण्डी को सूचनार्थ।
4. आयकर मुख्य आयुक्त, हि.प्र. क्षेत्र, शिमला को सूचनार्थ।

दलजीत सिंह  
( दलजीत सिंह )  
आयकर अधिकारी, (तक०),  
शिमला, हि. प्र.।

